न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 11/20–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

श्री सोहराई भेंगरा – विक्रेता

श्रीमती फूलमनी हेरेंज – क्रेता

(2)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
20.10.20	(नीचे देखें)	

आदेश

आवेदक श्री सोहराई भेंगरा पिता स्व0 रेबा भेंगरा ग्राम–रिडुंग, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने श्रीमती फूलमनी हेरेंज पति श्री लालू हेरेंज ग्राम–सुन्दारी सोसोटोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
रिडुंग	37	08	74	0.18½

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 10538798738 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 624 दिनांक 10.10.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम रमन पाहन वगैराह है। पंजी II के अनुसार रमन पाहन वगैराह के नाम भूमि का रकवा 38.45 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.20 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 1804.00(एक हजार आठ सौ चार) रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 3.01½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री सोहराई भेंगरा पिता स्व0 रेबा भेंगरा को श्रीमती फूलमनी हेरेंज पति श्री लालू हेरेंज के साथ ग्राम रिडुंग के खाता सं0 08 खेसरा संख्या 74 कुल रकबा 0.18½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1804.00(एक हजार आठ सौ चार) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 22/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

(हस्ताक्षर) 22/10/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।